

मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग
::मंत्रालय::
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक 118 / 2020 / सी-2
प्रति,

भोपाल, दिनांक 25.04.2020

समस्त कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
मध्यप्रदेश।

विषय:- कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश- दुकानों को खोलने के संबंध में।


कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 87 / 2020 / सी-2 दिनांक 15.04.2020 एवं पत्र क्रमांक 111 / 2020 / सी-2 दिनांक 25.04.2020 का अवलोकन हो। गृह सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली के आदेश क्रमांक-40-3 / 2020-डीएम-आई(ए) दिनांक 15.04.2020 एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-40-03 / 2020-डीएम-आई (ए) दिनांक 24.04.2020 जिनकी प्रतियाँ पूर्व में आपको प्रेषित की गई हैं में वर्णित शर्तों के अधधीन ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में दुकानों के खोलने के संबंध में निर्देश निम्नानुसार हैं :-

1. ग्रामीण क्षेत्र- कन्टेनमेंट जोन के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग माल को छोड़कर समस्त दुकानें खोली जा सकेंगी।
2. शहरी क्षेत्र- कन्टेनमेंट जोन के बाहर सभी स्टैंडएलोन दुकाने, मोहल्ले की दुकाने एवं आवासीय परिसर में स्थित दुकाने खोली जा सकेंगी। बाजार/बाजार परिसर एवं शॉपिंग माल में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं रहेगी। तथापि पूर्व की भाँति बाजार में स्थित अनुज्ञेय अत्यावश्यक वस्तुओं यथा दूध, फल, सब्जी, ग्रासरी एवं दवा आदि की दुकानें खुली रखी जा सकती हैं। इंदौर, भोपाल,

जबलपुर, उज्जैन, धार एवं खरगौन में कन्टेनमेंट जोन के बाहर की दुकानों को खोलने के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा डिस्ट्रिक काइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ विचार विमर्श उपरांत स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा।

यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि माल, सिनेमाघर, जिम, होटल, स्वीमिंग पुल, व्यूटी पार्लर एवं बार/शराब की दुकानें आदि जो प्रतिबंधित श्रेणी में हैं पूर्वानुसार बंद रहेंगी।

कृपया उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।



(एस.एस.मिश्रा)
प्रमुख सचिव,
गृह विभाग

क्रमांक 119/2020/सी-2
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 25.04.2020

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव मध्यप्रदेश शासन को प्रेषित कर अनुरोध है कि कृपया अपने से संबंधित विभाग के विभागाध्यक्षों को उक्त के संबंध में अपने स्तर से आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें ताकि विभागों के मैदानी अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा उन निर्देशों का मैदानी स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
4. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश। कृपया अपने स्तर से संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि लॉक डाउन के निर्देशों का जिले एवं थाने स्तर पर पालन सुनिश्चित किया जा सके।
5. समस्त संभागायुक्त मध्यप्रदेश।
6. समस्त जोनल अति. पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश।
7. समस्त पुलिस अधीक्षक मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


प्रमुख सचिव,
गृह विभाग